कमल कुमार गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
(के. एस. भल्ला, जे.)

पूर्ण पीठ

न्यायमूर्ति: जी. सी. मित्तल, के. एस. भल्ला और ए. एल. बहरी, जेजे. के समक्ष

कमल कुमार गुप्ता,—याचिकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, उत्तरदाता।

सिविल रिट याचिका सं. 1988 *का* 8855।

3 अगस्त, 1990।

भारत का संविधान, 1950 - *कला 226/227 - पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा)। नियम,* 1930 - नियम *5, 6 और* 7 - *न्यूनतम आयु सीमा का प्रावधान करने वाले नियम - कोई लिखित या* मौखिक परीक्षा *आयोजित नहीं की जाती है* - आयोग सबसे कम उम्र के उम्मीदवार *और* 55 *वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवारों पर विचार* नहीं *करता है - इस तरह की कार्रवाई - क्या यह बुनियादी योग्यता को परेशान करने के बराबर है।*

यह अधिनियमित किया कि पात्रता योग्यता निर्धारित करना या परेशान करना एक सलाहकार या अनुशंसात्मक निकाय का कार्य नहीं है।

नियोक्ता द्वारा निर्धारित बुनियादी योग्यताएं। इसका कार्य केवल सिफारिश करना है, आयोग सरकार द्वारा पहले से लिए गए निर्णय को पूर्ववत करने के लिए समानांतर और स्पष्ट पात्रता शर्तों को निर्धारित नहीं कर सकता था। यह केवल उन छह उम्मीदवारों की सूची पर विचार कर सकता है जिन्हें उसके पास भेजा गया था और उनमें से तीन को चुन सकता है जो आयोग के अनुसार योग्यता के क्रम में सबसे उपयुक्त हैं, • इसने छह में से दो पर विचार नहीं किया है, अपनी पात्रता मानदंड स्थापित करके अपने अधिकार का उल्लंघन किया है। आयोग की यह कार्रवाई इस प्रकार स्पष्ट और अवर्णनीय मनमानी है। इसलिए, आयोग द्वारा अपनाया गया मानदंड उस हद तक खराब और अस्थिर है।

(पैरा 13)।

भारत का संविधान, 1950 1&-*पंजाब सिविल सेवा कार्यकारी ब्रांट) नियम,* 1930 - *नियम* 5 *से 1 - पिछले दस वर्षों के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों पर विचार करने के लिए प्रावधान - आयोग ■ रिकॉर्ड पर उपलब्ध A.C.Rs पर विचार करना - A.C.Rs के आधार पर निर्धारित अनुभव - इस तरह की कार्रवाई - चाहे भेदभावपूर्ण हो - विफलता या रिकॉर्ड AC.Rs - कर्मचारी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए।*

आयोग द्वारा उठाए गए इस तर्क को कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध केवल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को ध्यान में रखा गया था, उसकी ओर से उचित नहीं माना जा सकता है। विभिन्न रिटर्न ों में यह तर्क कि एक उम्मीदवार इतने वर्षों तक वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अर्जित नहीं कर सका, उसके नुकसान के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। उम्मीदवारों द्वारा वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट कभी अर्जित नहीं की जाती है और वास्तव में वे अपने दम पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दर्ज की जाती हैं। यदि किसी कारण से वरिष्ठ अधिकारी इसे रिकॉर्ड करने में असमर्थ थे या विफल रहे, तो यह उम्मीदवार की कोई गलती नहीं थी और उसे उस आधार पर नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। अन्यथा भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 द्वारा गारंटीकृत अवसर की समानता के हित में, आयोग को उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर अर्थात उसी अवधि के लिए 10 वर्ष से अधिक आयु के सभी उम्मीदवारों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ों को प्रसारित करना आवश्यक था या इसे प्रत्येक उम्मीदवार के मामले में औसत तैयार करना चाहिए था और उसके बाद शर्तों या अंकों में मूल्यांकन किया जाना चाहिए था। आयोग ने ऐसा नहीं करने के कारण, उन सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान नहीं किया जिन पर उसके द्वारा विचार किया जाना आवश्यक था।

(पैरा 16)।

माना जाता है, लाइन या सेवा में अनुभव किसी उम्मीदवार द्वारा ऐसी किसी भी सेवा में रखी गई कार्य अवधि द्वारा निर्धारित किया जाता है, न कि दर्ज या उपलब्ध वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर। सबसे पहले, केवल वार्षिक प्रमाण-पत्र की अनुपलब्धता को संभवतः इसकी गैर-रिकॉर्डिंग का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता है। फिर, भले ही वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है यदि कोई व्यक्ति उस सेवा में काम करता था जिसके लिए इसे दर्ज नहीं किया गया था, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसे उस अवधि के लिए लाइन या सेवा में कोई अनुभव नहीं था। इसलिए हेड एक्सपीरियंस फिन लाइन के तहत मूल्यांकन किया जाना चाहिए था।

सेवा की अवधि के आधार पर, न कि उस अवधि की लंबाई के आधार पर जिसके लिए वार्षिक प्रमाण पत्र रिपोर्ट उपलब्ध थी। इन मामलों में, आयोग द्वारा निर्धारित मानदंड ों को उचित रूप से लागू नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप भेदभाव हुआ था। इसने स्पष्ट कारणों से चयन को दूषित किया है जिसे उस स्कोर पर भी रद्द किया जाना चाहिए।

(पैरा 17)।

पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 1930 - अनुच्छेद 5 *से* 7 "जब तक कि सरकार अन्य निर्देश न दे" शब्द *का* उपयोग - *नियमों में प्रदान की गई बुनियादी योग्यता - क्या छूट दी जा सकती है।*

कमल कुमार गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
(के. एस. भल्ला, जे.)

यह माना गया कि 'जब तक कि सरकार अन्यथा निर्देश न दे' शब्द का उपयोग स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि छूट की शक्ति सरकार को विशिष्ट शब्दों में प्रदान की गई थी। दूसरे शब्दों में, नियमों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि नियमों में निर्धारित रजिस्टर ए-1 में प्रवेश के लिए तहसीलदारों/नायब-तहसीलदारों के रूप में कार्यरत व्यक्तियों के नामों पर विचार करने के लिए बुनियादी योग्यताओं में सरकार द्वारा छूट दी जा सकती है और कहा कि नियमों की योजना के अनुसार अजेय शक्ति राज्य सरकार में निहित है।

(पैरा 3)।

माननीय न्यायमूर्ति एमएम पुंछी और माननीय न्यायमूर्ति उजागर सिंह की खंडपीठ द्वारा 10 अगस्त, 1989 *को मामले में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए एक बड़ी पीठ को मामला भेजा गया। माननीय न्यायमूर्ति जी. सी. मित्तल, माननीय न्यायमूर्ति के. एस. भल्ला और माननीय न्यायमूर्ति ए. एल. बाहरी की पूर्ण पीठ ने 3 अगस्त,* 1990 को मामले का अंतिम निर्णय लिया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत संशोधित रिट *याचिका में प्रार्थना की गई है कि याचिका को स्वीकार किया जाए और मामले के रिकॉर्ड मांगे जाएं। उसी मुद्दे के अवलोकन के बाद* :-■

(1) हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में नियुक्ति के लिए रजिस्टर ए-1 में प्रविष्टि के लिए 22 सितंबर, 1988 *को की गई हरियाणा लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिनांक 3 अक्टूबर, 1988* (अनुलग्नक पी-एस) *के आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी की* प्रकृति की रिट *या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निदेश।*

(2) हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में नियुक्ति के लिए रजिस्टर ए-1 में शामिल करने के लिए याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश करने और वर्ष 1983 के लिए रिक्तियों को भरे जाने के दिन से परिणामी लाभ अर्थात वेतन, वरिष्ठता आदि प्रदान करने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश देने वाली रिट।

(3) कोई अन्य उपयुक्त, रिट, आदेश या निर्देश जो यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे।

(4) प्रतिवादियों को इस माननीय न्यायालय के अवलोकन के लिए उम्मीदवारों का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए।

(5) याचिकाकर्ता को 22 सितंबर, 1988 की सिफारिशों की प्रतियों के साथ अनुलग्नक की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट दी जा सकती है ।

(6) याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों को याचिका के अग्रिम नोटिस देने से छूट दी जा सकती है।

(7) याचिकाकर्ता को रिट याचिका की लागत की अनुमति दी जाए। याचिकाकर्ता की ओर से हेमंत कुमार, एडवोकेट।

एस.के. सूद, डी.ए. हरियाणा, उत्तरदाता *संख्या 10 के लिए* 1.

जे. एल. गुप्ता, सीनियर एडवोकेट, प्रतिवादी नंबर 2 के लिए एडवोकेट विक्रांत शर्मा के साथ ।

एस. एस. निज्जर, वरिष्ठ अधिवक्ता और टी. पी. सिंह, अधिवक्ता, प्रतिवादी *संख्या 100 के लिए।* 3.

सी. एम. चोपड़ा, वकील, *प्रतिवादी संख्या 10 के लिए।* 4.

निर्णय

के. एस. भल्ला, जे.

इन रिट याचिकाओं के माध्यम से, वर्ष 1983 के संबंध में उक्त राज्य में तहसीलदार ों और नायब तहसीलदारों के रूप में सेवारत अधिकारियों में से हरियाणा राज्य की हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) (जिसे बाद में 'सेवा' कहा जाता है) में चयन को रद्द कर दिया गया है और यह दावा किया गया है कि सर्वश्री राम चंदर शर्मा की नियुक्ति के संबंध में 3 अक्टूबर, 1988 (अनुबंध पी -3) के आदेश को रद्द कर दिया गया है। हरियाणा राज्य के प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से राज्यपाल द्वारा 22 सितंबर, 1988 को बनाए गए हरियाणा लोक सेवा आयोग (जिसे बाद में 'आयोग' कहा जाता है) की सिफारिशों के आधार पर हरियाणा राज्य के राज्यपाल द्वारा की गई सेवा के लिए क्रमशः प्रतिवादी संख्या 3 से 5 अशोक वशिष्ठ और राम चंद्र को रद्द किया जाए। सेवा के लिए चयन पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 1930 (इसके बाद 'नियम' कहा जाता है) के तहत किया जाता है जो हरियाणा राज्य पर चार अलग-अलग तरीकों से लागू होता है।

मोड और विभिन्न स्रोतों की संख्या से। राज्य के मुख्य सचिव को स्वीकृत उम्मीदवारों के चार प्रकार के रजिस्टर बनाए रखने की आवश्यकता होती है और उनमें से नियुक्तियां की जाती हैं। उनमें से रजिस्टर ए-1 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों से संबंधित है और इन रिट याचिकाओं में हम केवल उक्त रजिस्टर से संबंधित हैं।

2. संबंधित स्त्रोत से भर्ती की प्रक्रिया सहित सेवा में भर्ती के संबंध में संगत नियम नियमों के 5 से 7 हैं और उन्हें संदर्भ की सुविधा के लिए निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जाता है: –

1. । *स्वीकृत उम्मीदवारों में से हरियाणा के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्य।* सेवा के सदस्यों को हरियाणा के राज्यपाल द्वारा समय-समय पर उन स्वीकृत उम्मीदवारों में से नियुक्त किया जाएगा जिनके नाम इन नियमों के अनुसार इन नियमों के तहत बनाए जाने वाले स्वीकृत उम्मीदवारों के एक या अन्य रजिस्टरों में विधिवत दर्ज किए गए हैं:

परन्तु यदि राज्य सरकार की राय में सेवा की अनिवार्यताओं की आवश्यकता है, तो राज्य सरकार लोक सेवा आयोग के परामर्श के पश्चात् ऐसी विधियों द्वारा सेवा में विशेष भर्ती कर सकेगी, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

6. *रजिस्टर ों का रख-रखाव किया जाना चाहिए।* मुख्य सचिव द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों के निम्नलिखित रजिस्टर रखे जाएंगे, अर्थात् :-

(1) उम्मीदवारों के रूप में स्वीकार किए गए तहसीलदारों और नायब-तहसीलदारों का रजिस्टर ए-एल;

(2) उम्मीदवारों के रूप में स्वीकार किए गए तृतीय श्रेणी सेवा के सदस्यों का रजिस्टर ए-2;

(3) प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम पर उम्मीदवारों के रूप में स्वीकार किए गए व्यक्तियों का रजिस्टर बी; और

(4) खंड विकास और पंचायत अधिकारियों का रजिस्टर सी,

7. *रजिस्टर ए-आई के लिए उम्मीदवारों का चयन।* (1) वित्तीय आयुक्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली तारीख तक, तहसीलदारों/नायब-तहसीलदारों की एक सूची तैयार करेगा और उसे एक समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा जिसमें मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे और दो ऐसे अन्य अधिकारी सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नामित किया जाए; बशर्ते कि जब तक कि सरकार अन्यथा निर्देश न दे, किसी ऐसे व्यक्ति का नाम प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जो-

(1) (i) पांच वर्ष की निरंतर सरकारी सेवा पूरी नहीं की है;

(11) पैंतालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है; जिस तारीख को समिति के समक्ष नामों को प्रस्तुत करना आवश्यक है, उस तारीख को या उससे पहले; और

(2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक नहीं है।

(2) समिति ने कहा कि £ उप-नियम (1) ऐसे सभी नामों पर विचार करेंगे और एक सूची तैयार करेंगे, जो रजिस्टर ए-1 में दर्ज किए जाने के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले व्यक्तियों की रिक्तियों की संख्या के दोगुने के बराबर है। यह सूची हरियाणा लोक सेवा आयोग को मेरिट के क्रम में और रिक्तियों की संख्या के बराबर, सूची में दर्ज सबसे उपयुक्त व्यक्तियों को रजिस्टर ए-1 में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के रूप में चयनित करने की सिफारिश करने

के लिए भेजी जाएगी, और उसके बाद इस प्रकार चयनित व्यक्तियों के नाम रजिस्टर ए-1 में दर्ज किए जाएंगे।

(3) जैसा कि ऊपर उल्लिखित नियमों से स्पष्ट है, संबंधित भर्ती के संबंध में अलग-अलग लेखकों के अलग-अलग कार्य हैं, अंतिम प्राधिकारी निर्विवाद रूप से राज्य सरकार है। नियम 7, जो रजिस्टर ए-1 में अपने नाम रखने के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया प्रदान करता है, यह स्पष्ट करता है कि भर्ती की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाती है और अंतिम कार्रवाई भी राज्य सरकार के विवेक के भीतर निहित होती है। चयन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले, राज्य सरकार को उस तारीख को निर्धारित करना आवश्यक है जिसके द्वारा पहले पदाधिकारी को कार्य करना है। नियमों के नियम 7 का नियम (1) आगे इंगित करता है कि चयन के लिए एक या अधिक सामान्य योग्यताओं में छूट देने की शक्ति राज्य सरकार में निहित होगी। इसके परंतुक में प्रदान की गई सामान्य योग्यताएं हैं;

(1) निरंतर सरकार के पांच वर्ष पूरे होने पर सेवा

(2) 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले, और

(3) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

'जब तक कि सरकार अन्यथा निर्देश न दे' शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि छूट की शक्ति सरकार को विशिष्ट शब्दों में प्रदान की गई थी। दूसरे शब्दों में, नियमों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि नियमों में निर्धारित रजिस्टर ए-1 में प्रवेश के लिए तहसीलदारों/नायब-तहसीलदारों के रूप में कार्यरत व्यक्तियों के नामों पर विचार करने के लिए बुनियादी योग्यताओं में सरकार द्वारा छूट दी जा सकती है और कहा कि नियमों की योजना के अनुसार अजेय शक्ति राज्य सरकार में निहित है।

(4) चयन की प्रक्रिया में पहला काम वित्तीय आयुक्त राजस्व है। उन्हें तहसीलदारों/नायब-तहसीलदारों की एक सूची तैयार करनी होती है और इसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली तारीख तक एक समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करना होता है। ऐसा करने में, उसे शायद बस यह देखना होगा कि तहसीलदार/नायब-तहसीलदार के रूप में काम करने वाला व्यक्ति नियमों में निर्धारित प्रारंभिक योग्यताओं को पूरा करता है या नहीं, जो विशेष चयन के लिए राज्य सरकार द्वारा संशोधन, यदि कोई हो, के अधीन है। नियम 7 का उपनियम (1) इस प्रकार, जैसा कि हम इसे समझते हैं, तहसीलदार या नायब-तहसीलदार के रूप में काम करने वाले व्यक्ति को सेवा में चयन के लिए विचार करने का अधिकार देता है यदि वह न्यूनतम योग्यता को पूरा करता है।

(5) उपर्युक्त समिति में अध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव और सदस्य के रूप में दो अन्य अधिकारी शामिल होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नामित किया जाए। उस समिति का कार्य, जिसे बाद में हमारे द्वारा अनुवीक्षण समिति के रूप में संदर्भित किया जाएगा, केवल वित्तीय आयुक्त राजस्व द्वारा अग्रेषित सभी नामों पर विचार करना है और सूची को रजिस्टर ए-I में दर्ज किए जाने के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले व्यक्तियों की रिक्तियों की संख्या से दोगुनी सीमा तक छोटा करना है। इस उपयुक्तता का आकलन स्वाभाविक रूप से स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया जाना है और केवल उन व्यक्तियों को इसकी सूची में शामिल करने के लिए उपयुक्त माना जा सकता है जो उक्त समिति के मूल्यांकन के लिए पाए जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियमों के नियम 7 के उप-नियम (2) में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि स्क्रीनिंग कमेटी को योग्यता के क्रम में अपनी सूची तैयार करने की आवश्यकता है, लेकिन यदि प्रावधान का उसके सख्त अर्थों में पालन किया जाना है तो उसे ऐसा करना आवश्यक है। 'उपयुक्त' शब्द नहीं होना चाहिए

'पास मार्क्स' या चयन के लिए केवल योग्यता के संदर्भ में समझा जाए तो इसका सीधा सा कारण यह है कि वित्तीय आयुक्त राजस्व द्वारा प्रस्तुत सूची, चाहे वह कितनी भी अव्यापक रूप से क्यों न हो, उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से दोगुनी तक कटौती की जानी चाहिए। पात्र उम्मीदवारों की संख्या बड़ी होनी तय है और जहां इसे बहुत कम किया जाना है, केवल उपयुक्तता निर्णायक साबित नहीं हो सकती है और समिति को उपयुक्त उम्मीदवारों में से पहले कुछ का चयन करने में सक्षम बनाने के लिए योग्यता पर विचार करना होगा। इसे कई बार संख्या को दसवें हिस्से तक कम करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि 50 से अधिक व्यक्ति चयन के लिए अपेक्षित न्यूनतम योग्यता को पूरा करते हैं और उनकी सूची इस उद्देश्य के लिए अग्रेषित की जाती है, तो उनमें से 20 से अधिक शब्द के सामान्य अर्थों में चयन के लिए उपयुक्त हो

सकते हैं। हालांकि, यदि रिक्ति एक है, तो स्क्रीनिंग समिति को केवल दो की सूची अग्रेषित करने की आवश्यकता होती है और यदि उपलब्ध रिक्तियां दो हैं तो उसे चार व्यक्तियों की सूची अग्रेषित करने की आवश्यकता होती है। एक बार जब किसी सूची को एक विशेष आकार में काट दिया जाता है, तो सूची में उपलब्ध व्यक्तियों की योग्यता पर ध्यान देना होगा। जब हाथ से चयन की आवश्यकता होती है, तो चयन का एकमात्र उचित तरीका योग्यता के आधार पर होता है और कोई नहीं। स्क्रीनिंग कमेटी का काम अपनी सूची आयोग को भेजना है। इसके बाद ही आयोग का गठन होता है। इस प्रकार, आवश्यक निहितार्थ द्वारा योग्यता का तत्व राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की गई स्क्रीनिंग में अपनी भूमिका निभाता है और आयोग को अग्रेषित सूची को योग्यता के आधार पर स्क्रीनिंग समिति द्वारा चयन के लिए लिया जाना है। इसलिए उक्त सूची को प्रतिवादियों के लिए विद्वान वकील की योग्यता और तर्क के क्रम में होना चाहिए कि समिति को योग्यता के क्रम में चयन करने की आवश्यकता नहीं है।

(6) आयोग का कार्य स्क्रीनिंग समिति द्वारा उसे भेजी गई सूची में से सबसे उपयुक्त व्यक्तियों का चयन करना है। चयनित ों की संख्या को घटाकर आधा करना आवश्यक है अर्थात उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के बराबर और योग्यता के क्रम में उनके नामों की सिफारिश करना। रजिस्टर ए-1 में प्रविष्टि के लिए उम्मीदवारों के रूप में चयनित होने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश की जानी है और उसके बाद इस प्रकार चयनित व्यक्तियों के नाम उक्त रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे। नियमों के नियम 7 के उप-नियम (2) में अपनाई गई भाषा से यह स्पष्ट है कि आयोग केवल एक सलाहकार और सिफारिशी निकाय है और चयन का अंतिम अधिकार राज्य सरकार के पास है। आयोग उम्मीदवारों के रूप में चयनित होने के लिए योग्यता के क्रम में नामों की सिफारिश करता है, चयन किया जाता है

राज्य सरकार द्वारा और उसके बाद इस प्रकार चयनित व्यक्तियों के नाम रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं। तथापि, सामान्यत आयोग की सिफारिशें ही प्रबल होती हैं।

(7) टीलिन इथे में; वर्तमान मामले में, यह एक सामान्य मामला है। इसका चयन वर्ष 1983 के लिए किया गया था और राज्य सरकार ने 9 जनवरी, 1987 को तहसीलदारों/नायब-तहसीलदारों में से उक्त चयन के संबंध में तीन रिक्तियों को अधिसूचित किया था। निर्धारित अर्हताओं को पूरा करने की निर्धारित तिथि 1 जनवरी, 1983 निर्धारित की गई थी और राज्य सरकार ने इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश दिया कि अन्य दो अर्हताओं को अपनाने के अलावा 52 वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों पर विचार किया जाना चाहिए और आगे निर्देश दिया कि उनके पास एक से अधिक जीवित पति या पत्नी नहीं होने चाहिए। वित्तीय आयुक्त राजस्व द्वारा अग्रेषित मूल सूची की जांच के बाद, हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने निम्नलिखित छह उपयुक्त व्यक्तियों की एक सूची अग्रेषित की अर्थात राज्य सरकार द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का दोगुना:-

(1) श्री केके गुप्ता

(2) श्री आर.के पांडव

(3) श्री आर सी शर्मा,

(4) श्री अशोक विशिष्ट

(5) श्री राम चन्द्र

(6) श्री दलीप चन्द गुलता

जैसा कि तहसीलदारों की ग्रेडेशन सूची (अनुबंध पी -1 और अनुबंध आर -1) से स्पष्ट है कि उनके नाम वरिष्ठता के क्रम में नहीं हैं क्योंकि अशोक वशिष्ठ नंबर 11 पर, केके गुप्ता नंबर 13 पर, राज कुमार पांडोव नंबर 25 पर, दलीप चंद गुप्ता नंबर 26 पर, राम चंदर नंबर 30 पर और राम चंदर शर्मा नंबर 32 पर हैं। यह स्पष्ट रूप से इस बात को पुष्ट करता है कि उनका चयन स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा योग्यता के क्रम में किया गया था और आयोग को उसके द्वारा अग्रेषित सूची ने उन उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित की जिनके नाम उक्त समिति द्वारा आयोग को भेजे गए थे। उन उपयुक्त व्यक्तियों में से, आयोग ने सर्वश्री आर. के. गुप्ता, आर. के. गुप्ता, आर. के. गुप्ता को छोड़कर सर्वश्री आर. सी. शर्मा, अशोक वशिष्ठ और राम चंदर को योग्यता के उक्त क्रम में सबसे उपयुक्त के रूप में चुना।

पंडोव और दलीप चंद गुप्ता ने अपने नामों की सिफारिश की और रजिस्टर ए-एल में उम्मीदवारों के रूप में चुने जाने की सिफारिश की। उक्त सिफारिश या आयोग के आधार पर, सर्वश्री राम चंद्र शर्मा, अशोन वशिष्ठ और राम चंदर को हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में नियुक्त किया गया था- दिनांक 3 अक्टूबर, 1988 के आदेश के *तहत*, अनुबंध आर-1 उक्त चयन से असंतुष्ट श्री के. के. गुप्ता ने 1988 की सिविल रिट याचिका संख्या 8855 को प्राथमिकता दी, जबकि श्री आर. के. पंडोव ने स्वतंत्र रूप से 1988 की सिविल रिट याचिका संख्या 11555 को प्राथमिकता दी, जिसमें आयोग द्वारा चयन किया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 तक की नियुक्ति के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। हमारे फैसले में इन दोनों रिट याचिकाओं का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि वे एक ही चयन के खिलाफ निर्देशित हैं।

(8) आयोग ने सबसे उपयुक्त व्यक्तियों के चयन के अपने कार्य का निर्वहन करते हुए स्वीकार्य उम्मीदवारों की संख्या को छह से घटाकर तीन कर दिया है, यह स्वीकार किया गया है कि उसने कोई लिखित या *मौखिक* परीक्षा आयोजित नहीं की थी, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसका चयन वस्तुनिष्ठ होना चाहिए न कि व्यक्तिपरक प्रकृति का। दी गई स्थिति में वस्तुनिष्ठ संतुष्टि के लिए, यानी, परिपक्व व्यक्तित्व के व्यक्तियों के मामले में, जैसा कि उम्मीदवारों को होना था, साक्षात्कार परीक्षा शायद बुनियादी और आवश्यक शैक्षणिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन एकमात्र उचित तरीका हो सकता है। लेकिन जिन कारणों के बारे में आयोग को अच्छी तरह से पता था, उनके लिए इसका सहारा नहीं लिया गया। दूसरी ओर, आयोग ने केवल सेवा रिकॉर्ड को देखने के लिए संतुष्ट महसूस किया। प्रतिवादी संख्या 2 की वापसी के पैरा नंबर 9 में यह देखा गया है कि उम्मीदवारों का सेवा रिकॉर्ड उनकी योग्यता निर्धारित करने के लिए पर्याप्त था। उक्त प्रतिवादी द्वारा आगे यह आरोप लगाया गया है कि सेवा रिकॉर्ड से उन्होंने शैक्षिक योग्यता, अनुभव, अनुभव की प्रकृति, आयु, क्षमता, क्षमता, योग्यता, उपयुक्तता और वरिष्ठता को ध्यान में रखा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आयोग अपने कामकाज का मास्टर है और अदालतें आमतौर पर चयन के तंत्र पर सवाल उठाने के हकदार नहीं हैं। निश्चित रूप से न्यायालय का कार्य और अधिकार सीमित है। लेकिन साथ ही, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील की दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अदालतें हस्तक्षेप करने के लिए सक्षम नहीं हैं जब तक कि आयोग की ओर से किसी न किसी तरह से पूर्वाग्रह का आरोप नहीं लगाया जाता है। आयोग के पास अपने कामकाज को विनियमित करने और अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए तरीकों और तरीकों को तैयार करने के लिए अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र है और यह भी विवादित नहीं है कि सामान्य परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय मूल्यांकन की समीक्षा करने के लिए सक्षम नहीं है। यह देखा गया है

शीर्ष अदालत ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर न्यायिक समीक्षा संभव नहीं है। अशोक *कुमार यादव बनाम मामले* में इसका उल्लेख किया गया है। *हरियाणा राज्य* (1), कि न्यायालय साक्षात्कार निकायों द्वारा दिए गए अंकों पर तब तक निर्णय नहीं दे सकता जब तक कि यह साबित या स्पष्ट न हो कि अंकन स्पष्ट रूप से मनमाना है या तिरछे उद्देश्यों से प्रभावित है। कभी-कभी, अंकन अनुचित और दोषपूर्ण हो जाता है जैसे कि विभिन्न शीर्षों के तहत अंकन विकृत तस्वीर को जन्म दे सकता है। उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह भी देखा गया है कि साक्षात्कार के लिए अंकों का अनुचित रूप से उच्च प्रतिशत अक्सर मनमानी के दोष से ग्रस्त होता है। यह महसूस करते हुए, सभी लोक सेवा आयोगों के लिए 15 प्रतिशत की दर निर्धारित की गई थी। इसका मतलब यह है कि अदालतें हस्तक्षेप करने के लिए लालायित हैं यदि और जब मनमानी की गुंजाइश काफी अधिक है। एक कल्याणकारी राज्य में कानून के शासन को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है जहां प्रशासनिक निकायों का अधिकार क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है कि राज्य के तंत्र को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन करना चाहिए। कानून के शासन की अवधारणा अपनी जीवन शक्ति खो देगी यदि राज्य के तंत्र को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन करने का कर्तव्य नहीं सौंपा जाता है। इसलिए यह सुझाव देना कि आयोग द्वारा किए गए संवैधानिक कार्यों और चयन के तंत्र को किसी भी परिस्थिति में इस न्यायालय द्वारा नहीं देखा जा सकता है, मान्यता प्राप्त कानूनी धारणाओं के लिए अस्वीकार्य है।

(9) यदि इस मामले की विशेषताओं को देखें, तो पृष्ठभूमि में उपरोक्त कानूनी स्थिति को बनाए रखें, तो यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि आयोग द्वारा सब कुछ न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से किया गया था। जैसा कि प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से दायर रिटर्न से स्पष्ट है, याचिकाकर्ताओं के संबंध में कई तथ्यों का गलत उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए, आयोग की रिटर्न में यह गलत उल्लेख किया गया है कि केके गुप्ता उम्र में सबसे कम उम्र के थे या सबसे जूनियर थे या आरसी शर्मा के पास श्री गुप्ता की तुलना में सेवा में लंबा अनुभव था। इन बिंदुओं पर आयोग श्रेणीकरण सूची, अनुलग्नक पी-1 के साथ-साथ अनुलग्नक आर-1 के अनुसार रिकॉर्ड द्वारा गलत है। चूंकि चयन केवल रिकॉर्ड के अवलोकन से किया गया था, इसलिए रिटर्न में इन विसंगतियों ने डिवीजन बेंच के माननीय न्यायाधीशों के दिमाग पर एक छाप छोड़ी, जिनके साथ मामला तब लंबित था कि याचिकाकर्ताओं के रिकॉर्ड को ठीक से पढ़ा या सराहा नहीं गया था। इसके अलावा, स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निर्धारित योग्यता, जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव ने की थी, जो अपनी आधिकारिक क्षमता और स्थिति में स्पष्ट रूप से बेहतर थे।

(1) एआईआर 1987 एस.सी.

सेवा रिकॉर्ड की सराहना के लिए रखे गए पदों को भी आयोग द्वारा बुरी तरह से हिला दिया गया ताकि उनके नंबर 1 और 2 को हटा दिया जा सके। यह भी हमारे विचार में आयोग के विरुद्ध प्रतिकूल रूप से परिलक्षित होता है। इन परिस्थितियों के आलोक में, उसी में झांकने के लिए डिवीजन बेंच को आयोग द्वारा अपनाए गए मानदंडों को मंगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। खंडपीठ द्वारा 10 अगस्त, 1989 के अपने संदर्भ आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि उन्होंने *प्रथम दृष्टया* पाया कि राजस्व विभाग द्वारा तैयार तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों की श्रेणीकरण सूची से पाए गए वास्तविक तथ्यों और कुछ विवरणों पर आयोग द्वारा प्राप्त परिणाम के संबंध में रिटर्न काफी असंगत था। और यह कि जिस उद्देश्य के लिए वे मामले को स्पष्ट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस समय आयोग के वकील के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भेजा था।

(10) खंडपीठ आयोग के अध्यक्ष को अपने कक्ष में ले गई और चयन की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उस स्तर पर उन्हें सामान्य प्रश्न पूछे। तब तक उनका विचार केवल उनकी न्यायिक संतुष्टि के उद्देश्यों के लिए मामले को स्पष्ट करना था। उक्त बातचीत के दौरान, अध्यक्ष ने खुलासा किया कि जैसा कि संदर्भ आदेश में दिखाया गया है, चयन से तुरंत पहले मानदंड निर्धारित किए गए थे और वर्ष 1982 या उससे पहले के वर्ष के चयन में देखे गए मानदंडों को संरक्षित या दोहराया नहीं गया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि A.C.Rs आदि सहित सेवा का पूरा रिकॉर्ड काफी समय तक आयोग के पास पहले से मौजूद था। उक्त खुलासों के कारण न्यायालय आशंकित हो गया और संदर्भ आदेश में यह देखा गया है कि डिवीजन बेंच का गठन करने वाले माननीय न्यायाधीशों को इस संबंध में अपनी आपत्तियां थीं कि क्या इस प्रकार उपलब्ध आंकड़ों की पूर्व उपस्थिति में, इसके बाद एक उचित मानदंड विकसित किया जा सकता है। हम यह भी महसूस करते हैं कि सभी निष्पक्षता मानदंडों में मांग प्राप्त होने पर निर्धारित किया जाना चाहिए, न कि विभिन्न उम्मीदवारों से संबंधित पूरे रिकॉर्ड और डेटा की प्राप्ति के बाद, जिनमें से चयन आयोग द्वारा किया जाना था। जब भी पूरे रिकॉर्ड और डेटा की प्राप्ति के बाद मानदंड निर्धारित किए जाते हैं, तो इसे तैयार किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में आयोग द्वारा अपनाए गए मानदंडों और न्यायालय द्वारा परिणाम पत्रकों को अवलोकन के लिए बुलाना उचित था।

(11) डिवीजन बेंच के न्यायाधीशों द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित मानदंडों और परिणाम पत्रों का अध्ययन करने के बाद, डिवीजन बेंच ने संदर्भ आदेश में रिकॉर्डिंग करके गोपनीयता की सील को तोड़ना सभी संबंधितों के लिए निष्पक्षता में उचित माना।

सभापति ने उन्हें चैंबर में क्या बताया था और उन कागजात की फोटोस्टेट प्रतियां भी रिकॉर्ड पर रखी थीं। इस तरह उक्त दस्तावेज रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए और इस प्रकार न्यायालय की जांच के लिए उपलब्ध कराए गए। उपर्युक्त विभिन्न कारकों को विशेष संदर्भ में ध्यान में रखते हुए कि क्या इन परिस्थितियों में, मनमानी का तत्व प्रवेश कर सकता है या नहीं, डिवीजन बेंच ने महसूस किया कि इस तरह का प्रश्न व्यापक आयाम का था और न केवल इस विशेष सेवा में बल्कि अन्य सेवाओं में भी बड़ी संख्या में मामलों में वृद्धि होने की संभावना थी। और इसलिए उन्होंने इन मामलों को पूर्ण पीठ द्वारा निर्णय के लिए भेज दिया।

(12) मानदंडों के अवलोकन पर हमने देखा है कि आयु का प्रश्न आयोग के हाथों में कुछ उम्मीदवारों को खारिज करने और दूसरे को हटाने के लिए आसान उपकरण साबित हुआ है। सिफारिश की तारीख यानी 22 सितंबर, 1988 को 55 वर्ष पार कर चुके उम्मीदवारों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया और उन्हें सिरे से खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता आर. के. पंडोव आयोग की उक्त कुल्हाड़ी का शिकार हो गए। आयोग द्वारा उक्त मानदंड ों को अपनाया जाना खराब है और इसके आधार पर चयन को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। सभी प्रतिवादियों द्वारा अपने रिटर्न में यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ताओं के पास विचार करने का अधिकार है, हालांकि उनके अनुसार उन्हें स्वचालित चयन का कोई अधिकार नहीं था। आर. के. पांडोव पर विचार नहीं किया गया था, स्वाभाविक रूप से उस अधिकार से वंचित कर दिया गया था जो निश्चित रूप से उनके पास निहित था। दलीप चंद गुप्ता के साथ भी ऐसा ही था, हालांकि उन्होंने आयोग द्वारा उनके चयन को चुनौती देना पसंद नहीं किया।

(13) फिर से केवल नियोक्ता किसी पद की पात्रता के लिए योग्यता के बारे में निर्णय लेने के लिए सक्षम है। आयु केवल पात्रता योग्यता देती है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है। राज्य सरकार, जैसा कि इस निर्णय के पूर्व भाग में चर्चा की गई है, को नियमों के नियम 7(1) के अंतर्गत यह निदेश देने की शक्ति प्राप्त है कि यदि कोई व्यक्ति 1 जनवरी, 1983 को 52 वर्ष से अधिक का नहीं है तो वह उसे अन्यथा चयन के लिए पात्र बना सकती है। आयु में छूट 45 से 52 वर्ष कर दी गई थी और सरकार ने शायद इस कारण से निर्देश दिया था कि उसने वर्ष 1983 से संबंधित चयन के संबंध में पर्याप्त देरी से अर्थात वर्ष 1987 में चार वर्षों के बाद कार्रवाई की थी। यदि हां; राज्य सरकार द्वारा यह छूट देने या अन्यथा निर्देश देने के पीछे एक वैध कारण था। वह व्यक्ति जो 1 जनवरी, 1983 को मात्र 52 वर्ष या उससे थोड़ा कम था, 22 सितम्बर, 1988 को 55 वर्ष की आयु पार करने के लिए बाध्य था और इस प्रकार आयोग ने उक्त मानदंड ों के अनुसार राज्य सरकार के निर्णय को शून्य कर दिया जो चयन और भर्ती के लिए अंतिम प्राधिकारी था। यह नहीं है

पात्रता योग्यता निर्धारित करने या नियोक्ता द्वारा निर्धारित बुनियादी योग्यता ओं को परेशान करने के लिए एक सलाहकार या सिफारिशी निकाय का कार्य। इसका कार्य केवल सिफारिश करना था, आयोग सरकार द्वारा पहले से लिए गए निर्णय को रद्द करने के लिए समानांतर और विभिन्न पात्रता शर्तें निर्धारित नहीं कर सकता था। यह केवल उन छह उम्मीदवारों पर विचार कर सकता है, जिनमें से सूची को इसके लिए संदर्भित किया गया था और उनमें से तीन को चुन सकता है जो आयोग के अनुसार योग्यता के क्रम में सबसे उपयुक्त हैं। इसने छह में से दो पर विचार नहीं किया है, अपनी पात्रता मानदंड स्थापित करने से इसके अधिकार का उल्लंघन हुआ है। इस प्रकार आयोग की यह कार्रवाई स्पष्ट और अवर्णनीय मनमानी से ग्रस्त है। इसलिए, आयोग द्वारा अनुकूलित मानदंड, उस हद तक खराब और अस्थिर हैं;

(14) इसके अलावा, आयोग ने अपने मानदंडों में उन व्यक्तियों को प्रति वर्ष 7 अंकों की सीमा तक नकारात्मक अंकन दिया, जिन्होंने सिफारिश की तारीख को 50 वर्ष की आयु प्राप्त की थी, लेकिन 55 वर्ष की आयु को पार नहीं किया था, यह भी स्पष्ट किया कि छह महीने से एक वर्ष तक की अवधि को पूर्ण एक वर्ष के रूप में गिना जाना था। सेवा में लगाई गई आयु के प्रत्येक वर्ष में किसी के अनुभव और अनुभव को आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों में प्रति वर्ष दो अंकों की अनुमति दी गई थी। दूसरे शब्दों में, 50 वर्ष की आयु से परे, छह महीने और उससे अधिक की सेवा में लगाने के लिए 3 का अनुभव किया गया था। साल। यह स्पष्ट रूप से अलग-अलग शीर्षों के तहत अंकन का एक स्पष्ट उदाहरण है जो विकृत तस्वीर की ओर ले जाता है और 50 पार कर चुके उम्मीदवारों के वर्ग के लिए अनुचित साबित हुआ है। सिफारिश के समय वर्षों। यह लीला धर बनाम *लीला धर के पैरा 8 में देखा गया था। राजस्थान राज्य* (2), कि विभिन्न शीर्षों के तहत अंक देने से कई मौकों पर उम्मीदवार की विकृत तस्वीर हो सकती है ताकि अंकन की विधि अनुचित और दोषपूर्ण हो सके। शायद इसीलिए इंटरव्यू देने वाली संस्था पर उम्मीदवार द्वारा बनाई गई छाप की समग्रता को उम्मीदवार के व्यक्तित्व की अधिक सटीक तस्वीर देने वाला माना गया है और उक्त कारण से *वाइवा वॉयस* टेस्ट को वस्तुनिष्ठ संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आयोग द्वारा अपनाया गया मानदंड आंशिक रूप से खराब है क्योंकि जिस तरह से उम्मीदवारों की आयु को ध्यान में रखा गया है, और हमारे पास इसके आधार पर किए गए चयन को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

(15) आयु के अलावा मानदंड के किस भाग का उपयोग किया गया था; दो उम्मीदवारों को वाष्पित करने और दूसरे को चलाने के लिए और खराब माना गया है, आयोग ने सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में उनके रिकॉर्ड का मूल्यांकन चार कोणों से किया *जैसे* वरिष्ठता, शैक्षिक योग्यता, तहसीलदार और नायब के रूप में लाइन में अनुभव।

(2) ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 1777.

तहसीलदार और उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दर्ज वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट। आयोग द्वारा उन दृष्टिकोणों से निर्धारित मानदंडों में बहुत अधिक दोष नहीं पाया जा सकता है और इस तथ्य के बावजूद कि विभिन्न शीर्षों के तहत अंकों के असमान प्रावधान के कारण इसे सही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ऐसा दृष्टिकोण संभव था, ऐसा करने में आयोग के आचरण को मनमाना नहीं माना जा सकता है, अनुचित या दोषपूर्ण ताकि उसी पर सवाल उठाया जा सके। यह गलत नहीं है कि न्यायालय चयन समिति की मानसिक प्रक्रिया की जांच नहीं कर सकते हैं और उनके द्वारा निर्धारित मानदंडों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए, हम मानदंड के उस हिस्से को अच्छा मानते हैं। तथापि, जहां तक वाषक गोपनीय रिपोर्टों आदि के मूल्यांकन का संबंध है, इसका कार्यान्वयन निष्पक्ष रूप से नहीं किया गया है।

(16) हालांकि यह निर्णय लिया गया था कि अनुमानित तिथि से पहले पिछले 10 वर्षों के लिए वार्षिक वित्तीय प्रतिनिधि पर विचार किया जाना था, फिर भी सभी उम्मीदवारों के मामले में एक समान अवधि के लिए उन पर विचार नहीं किया गया था। जैसा कि परिणाम पत्रक से स्पष्ट है कि राम चंदर के मामले में यह 9 साल एक महीने, अशोक कुमार वशिष्ठ के मामले में 6 साल 4 महीने, केके गुप्ता के मामले में 5 साल 6 महीने, राम चंदर शर्मा के मामले में 8 साल एक महीने के लिए माना गया था, राज कुमार पंडोव के मामले में 9 साल 8 महीने और दलीप चंद गुप्ता के मामले में 8 साल 5 महीने की सजा सुनाई गई है। आयोग की ओर से दलील दी गई है कि रिकॉर्ड में उपलब्ध वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को ही ध्यान में रखा गया। इसे अपनी ओर से उचित नहीं माना जा सकता है<3। विभिन्न रिटर्न ों में यह तर्क कि एक उम्मीदवार इतने वर्षों तक वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अर्जित नहीं कर सका, उसके नुकसान के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। उम्मीदवारों द्वारा वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट कभी अर्जित नहीं की जाती है और वास्तव में वे अपने दम पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दर्ज की जाती हैं। यदि किसी कारण से वरिष्ठ अधिकारी इसे रिकॉर्ड करने में असमर्थ थे या विफल रहे, तो यह उम्मीदवार की कोई गलती नहीं थी और उसे उस आधार पर नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। अन्यथा भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 द्वारा गारंटीकृत अवसर की समानता के हित में, आयोग को उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर अर्थात उसी अवधि के लिए 10 वर्ष से अधिक आयु के सभी उम्मीदवारों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ों को प्रसारित करना आवश्यक था या इसे प्रत्येक उम्मीदवार के मामले में औसत तैयार करना चाहिए था और उसके बाद अंकों के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाना चाहिए था। आयोग ने ऐसा नहीं करने के कारण, उन सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान नहीं किया जिन पर उसके द्वारा विचार किया जाना आवश्यक था।

(17) इसके अलावा, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के रूप में अनुभव को आयोग द्वारा उस समय के लिए तैयार किया गया था जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उपलब्ध थी। लाइन या सेवा में अनुभव किसी उम्मीदवार द्वारा ऐसी किसी भी सेवा में रखी गई कार्य अवधि से निर्धारित होता है, न कि दर्ज या उपलब्ध वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर। सबसे पहले, केवल वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की अनुपलब्धता को संभवतः इसकी गैर-रिकॉर्डिंग का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता है। फिर, भले ही वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है यदि कोई व्यक्ति उस सेवा में काम करता था जिसके लिए इसे दर्ज नहीं किया गया था, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसे उस अवधि के लिए लाइन या सेवा में कोई अनुभव नहीं था। इसलिए लाइन में शीर्ष अनुभव के तहत मूल्यांकन सेवा की लंबाई के आधार पर किया जाना चाहिए था, न कि उस अवधि की लंबाई के आधार पर जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उपलब्ध थी। इन मामलों में, आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों को उचित रूप से लागू नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप भेदभाव हुआ था। इसने स्पष्ट कारणों से चयन को दूषित किया है जिसे उस स्कोर पर भी रद्द किया जाना चाहिए।

(18) संक्षेप में, आयोग द्वारा निर्धारित मानदंड आंशिक रूप से ग़लत पाए गए हैं और आंशिक रूप से ठीक से लागू नहीं किए गए हैं ताकि आयोग द्वारा विचार किए जाने वाले सभी उम्मीदवारों को समान अवसर से वंचित किया जा सके। इसलिए आयोग द्वारा 22 सितंबर, 1988 को किए गए चयन/संशोधन और उसके आधार पर 3 अक्टूबर, 1938 के आदेश या नियुक्ति (अनुलग्नक पी-3) को रद्द किया जाता है और हरियाणा लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया जाता है कि वह छह नामों में से तीन सबसे उपयुक्त व्यक्तियों का नए सिरे से चयन/संशोधन करे। राज्य के मुख्य सचिव, बाद के घटनाक्रमों के बावजूद, आयु से संबंधित भाग को छोड़कर, उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों और अनुभव के मूल्यांकन के संबंध में शेष को फिर से लागू करते हैं और आदेश की प्राप्ति से दो महीने के भीतर परिणाम को नए सिरे से सारणीबद्ध करते हैं। नई सिफारिश को 22 सितंबर, 1988 को किया गया माना जाएगा और इस प्रकार अनुशंसित उम्मीदवार हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) को उसके बाद से उपलब्ध सभी सेवा लाभों के हकदार होंगे, भले ही बाद में कोई भी घटनाक्रम हो। हालांकि, लागत के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

पी / जीजी। ^

36561 एचसी - सरकारी प्रेस, यूटी, सीएचडी

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयवादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनीभाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभीव्यवहारिक और आधिकारिक उ द्देश्यो के लिए निर्णयका अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

वरुण बंसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
गुरुग्राम